

तारीख
हुस

सहायक कलेक्टर (वि. वी. व.) रंका नव इनिशियल्स जज

24-1-18

पत्रावली पेश हुई। वकील पशकारान उपस्थित
हुए। मुल वाद की जख्स सुनी गयी है। पत्रावली
का अवलोकन किया गया है। पत्रावली में
दिनांक 16-9-11 को प्राथमिक निर्णय किया
गया है। जिस पर टटखीलदार सीकर से फॉक
1960 राजस्व 11 दिनांक 12-1-11 के द्वारा
जंत्वारा प्रस्ताव कि रिपोर्ट प्रस्तुत कि गये है।
वादी की ओर विभाजन प्रस्ताव दिनांक 11/10/11
पर आपत्ती पेश कि गयी है। जिसमें प्रथमदृष्टया
ही अवैध होने के कारण निरस्त कर भाया
जावे। पुनः वादी की उपस्थिती में बंटवारा
प्रस्ताव तैयार किया जावे। प्रतिवादी सख्या 1
की ओर से जबाव पेश किया जिसमें वादी
द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को अमान्य कर
तखीलदार सीकर द्वारा तैयार किये गये
विभाजन प्रस्ताव दिनांक 11-10-2011 के
अनुसार अन्तिम निर्णय व डिक््री जारी त
करने हेतु निवेदन किया है। दिनांक 21/2/15
को प्रतिवादी सं० 1 का वैधान्त होने से इनके
वादीसा को कायम मुकाम आवेदन के
जरिये संशोधित सिपिक प्रतिवादी सख्या
1/1 लगायत 1/10 कायम किये गये है। जिनमें
प्रतिवादी सं० 1/1, 1/2, 1/4 की ओर Adमीनदल
लाल शर्मा ने वकालतनामा पेश किया है।
तथा प्रति० सं० 1/3 अब्दुल रहमान की प्रतिवादी
सं० 1/5 अब्दुल मुदीबानो की मुख्यतयार निरस्त
किया एवं प्रति० सं० 1/6 महबूब रंका की ओर
कसीम अकरम की पांवर भोंफ सरानी निरस्त
किया है जिनकी ओर Adमीनदन लाल शर्मा ने
वकालतनामा पेश किया है। प्रति० सं० 1/7 अहमजबानो
प्रति० सं० 1/8 रुकसाना बानो, प्रति० सं० 1/9

FORM No. III

फर्द अहकाम

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

(नियम 26)

अहकाम-II सीकर मुकाम सीकर
 मुमताज खाँ बनाव लाल खाँ
~~सुखदेव~~ न. 90/2010
 रावा

हुकम या कार्यवाही मय इतिवृत्त पत्र

नम्बर व तारीख
 अहकाम जो इस
 हुकम की तामील
 में जारी हुए

उप-सं. 1/10 अफसाना खानों ने अपना एक हिस्सा
 में खाने वाली भूमी उति.सं. 1/1, 2/3, 4/4, 5/6 को
 यह ने एक हिस्सा त्याग किया गया है। उति.सं.
 2 व 3 की तलवी पुणे रूप से है जिन के तावपूद
 उपस्थित नहीं होने पर इनके विरुद्ध स्व मंशीय कार्य
 को समल में लयी जाती है।

वादि मुमताज ने दिनांक 21-3-17 को आवेदन
 पेश कर तहसीलदार के विभाजन प्रस्ताव दिनांक
 11-10-2011 के विरुद्ध पैरा फ्याप्रतिपा खासिज करवा
 किया है। अब इस रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं है।
 तथा उति.सं. 1/1 से 1/6 पिता लाल खाँ के द्वारा प्रस्तुत
 आपत्ती के जवाब को ही उनके कबीसों का जवाब
 मंजूर की लिये मौखिक उनके पकील द्वारा निवेदन
 किया गया है। उक्त जवाब तहसीलदार सीकर से
 प्राप्त जलवावा प्रस्ताव पर सहमती जातेर कि गयी
 है। वाद मुल रूप से जलवावे का है। प्रसकारों
 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53
 के अनुसार अपनी कृषी भूमी का जलवावा कराया
 जकर जलग-जलग काश्त करने का अधिकार है।

अतः ग्राम दाका की ढाणी तहसील चौद के
 खंन 0101/288 रकबा 2.27 हेक्टर तथा खंन 0
 289 रकबा 2.89 हेक्टर का जलवावा तहसीलदार

रान उपस्थित
 है। पत्रावली
 वली में
 किया
 र से फाँक
 के द्वारा
 के गये है।
 नाक 11/10/10
 में प्रथमदृष्टया
 कर भाधा
 बरवारा
 से सख्या 1
 समे वादी
 अन्त कर
 किया गया
 10-2011 के
 की पारीत
 दिनांक 2.12.15
 में से इनके
 आवेदन के
 दी सख्या
 गये है। जिनमें
 गेट Adमीमदल
 पेश किया है।
 मान को उठिबाही
 प्रत्यार निष्कृत
 र खा की ओर
 मरानी निष्कृत
 म लाल शर्मा ने
 सं. 1/7 महराजबाना

सीकर के पत्राक 1460 राजस्व 111 दिनाक
12-10-11 के द्वारा प्राप्त बं वारा प्रस्ताव के
अनुसार अन्तीम निर्णय किया जाता है। इसी के
अनुसार जल्दवा किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड
में अमलदराजद किया जावे। इसी अनुसार अन्तीम
डिक्री पत्र जारी किया जावे तथा तहसीलदार चौक
को आदेश दिया जाता है। प्रति 0.50 1 लाल बंवा
की मृत्यु के बाद उनके वारिसों की प्रति 0.50 1,
से 1/10 का प्रम किया गया है। अन्त में प्रति 0.50 1 से 1/10
तक ने अपने एक व हिसका अिनके प्रम में एक
त्याग किया गया है। तथा अन्य कोई वारिसान
हो तो निश्चयानुसार आंख कर रिकॉर्ड में अमल करे।
तहसीलदार सीकर का पत्राक 1460 राजस्व 11
दिनाक 12-10-11 निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा।
निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार चौक को तहसीर
जारी किया जावे। पत्रावली फौजाल बुमार देकर
नाम्बर से काम हो। तहसीर तहसीलदार तहसीर
निर्णय आज दिनाक 24-1-18 को मुझे न्यायालय
में सुनाया गया है।

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर